ग्रामसहमति बैठक A.T.D. (Agree to do)

Date 13-09-2013

आज दिनांक 13-09-13 को ग्राम पंचायत डांगतल्ला में ग्राम वासियों की खुली बैठक श्री निवर्तमान ग्राम प्रधान सुरवीर सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें संस्था सहयोग के टीम लीडर सी.ओ. सामुदायिक अभियन्ता ने भी प्रतिभाग किया. बैठक का उद्देश्य सुरक्षित पाम्पिंग पेयजल योजना हेतु ग्राम वासियों की ग्राम सहमति बनाना था।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य –

ग्राम पंचायत डांगतल्ला में ग्राम समुदाय से उपस्थित ग्राम वासियों का आभार व्यक्त करते हुए संस्था के टीम लीडर द्वारा इस पेयजल परियोजना के मुख्य उद्देश्य पर चर्चा करते हुए बताया कि इस पेयजल परियोजना से आपकी पंचायत के प्रत्येक लोगों को पेयजल से आच्छादित किया जायेगा। परियोजना का लक्ष्य है कि आपकी पंचायत को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी प्रति दिन उपलब्ध हो जो शुद्धता एवं स्वच्छता के मानको के अनुसार होगा।

परियोजना की सामान्य जानकारी –

N.R.D.W.P. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे गाँव कस्बे तोकों को पेयजल योजना

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

P1-0

Date Date

हेतु चयनित किया गया है, या कियाजाता है जो राजीव गाँधी पेयजल मिशन सर्वे 2003 के अन्तर्गत N.C. PC थे इसके लिये सर्व मे ग्राम दारी सेंध्यो उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा पूर्व में P.F.S. पूर्व साध्यता अध्ययन करवाया गया था इसमें इसको तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है

NC - अनाच्छादित नॉनकवर्ड

PC - आंशिक आच्छादित

FC - पूर्ण आच्छादित

इसमें NC तथा PC में पेयजल निर्माण नई पेयजल योजना का निर्माण होगा और F.C. पूर्ण आच्छादित होने के कारण उसमें पेयजल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि उस गाँव का लोग भी पानी की किल्लत रही होगी क्योंकि उस समय में था तो परिस्थिति परिवर्तित हुआ होगा फिर इसके भी का काम निर्माण हो। किया जायेगा। इस कार्यक्रम को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है, जिसके लिये निर्धारित समय सीमा निम्नप्रकार है

1. पूर्व साध्यता अध्ययन 1 माह
2. नियोजन चरण 6 माह
3. क्रियान्वयन चरण 6 से 18 माह

इस कार्यक्रम के तहत हम पूर्व साध्यता

P.C. [signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

Date ________

आवश्यकतायें पूर्ण करें इस चरण नियोजन चरण में है। जो 6 माह का होता है। इसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ होती हैं।

पेयजल उपसमिति का गठन - नियोजन चरण में संस्था द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षित प्राकृतिक पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम समुदाय की खुली बैठक में UWSSC का गठन किया जो कि निश्चित कोरम के अनुसार गठित की गई है।

वित्तीय प्रक्रिया - उपसमिति के गठन के पश्चात परियोजना के संचालन एवं रखरखाव व निर्माण हेतु UWSSC को अपने दो बैंक खाते खोलने होते हैं। जो पूंजीगत एवं संचालन एवं रखरखाव के होंगे।

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

परियोजना का लक्ष्य पेयजल के साथ साथ ग्राम समुदाय की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य भी है, इसके अन्तर्गत समुदाय को गांव/तोक में 100% शौचालय का निर्माण करना होगा तथा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं घरेलू स्वच्छता के अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाने में सहयोग प्रदान करना होगा। तथा गांव/तोक में हेतु स्वास्थ्य [illegible]

Date

Date

हल्दी मेंडे सर्वे तथा स्वच्छता संबंधित जैसी महत्वपूर्ण गति विधियाँ समुदाय के सर्वोत्तम सहयोग से संस्था द्वारा कराई जाती है तथा कराती रहेगी

श्रमदान एवं अंशदान में भागेदारी

परियोजना में समुदाय की की अपनत्व की भावना पैदा करने हेतु उसमें श्रमदान एवं अंशदान की व्यवस्था है जो प्रतिरूप भौतिक परिवेश (...) को इस क्रम में जमा करना होगा।

क्र.सं.	विवरण	नगद	श्रमदान	योग
1	40 प्रति व्यक्तिगत संयोजन	120	480	600
2	सार्वजनिक हैण्ड पोस्ट	60	240	300
3	कृषक परिवार नीजी संयोजन	60	240	300
4	— — हैण्डपोस्ट	15	135	150

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था के सामुदायिक अभियन्ता द्वारा तकनीकी विकल्पों पर चर्चा आरम्भ की।

तकनीकी विकल्प

संस्था के सामुदायिक अभियन्ता द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों के साथ तकनीकी विकल्पों पर निम्न प्रकार से चर्चा की।

R. C. [illegible]

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

Date

Date

क्र०सं०	तकनीकी विकल्प	कुल लागत	समुदाय अंशदान	[illegible]	हस्ताक्षर
1 -	गुरुत्व पेयजल योजना				
2 -	पम्पिंग पेयजल योजना				
3 -	वर्षा जल संग्रहण हैतु				
4	हैण्ड पम्प				

भिन्न विकल्पों में से सर्वसम्मति से समुदाय द्वारा पम्पिंग पेयजल योजना के विकल्प को चुना गया है, जिसका प्रस्तुतीकरण कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किया गया है। [illegible] उपस्थित [illegible] आदि [illegible] बैठक में समुदाय के साथ खुली विस्तृत चर्चा के पश्चात बैठक में उपस्थित सदस्यों ने उक्त पेयजल योजना के लिये बिना किसी विवाद के सहमति प्रदान की तथा योजना के लिए भूमि दान / अंशदान एवं संचालन रखरखाव हेतु पूर्ण भागेदारी के लिये अपनी सहमति प्रदान की तथा संस्था स्तर पर ग्राम समुदाय में हैण्ड, स्वास्थ्य पर सर्वे एवं स्वच्छता अभियान [illegible] में अपनी 100% भूमिका / सहभागिता का आश्वासन प्रदान किया इसके साथ ग्राम सहमति बैठक Agree to do बैठक को बैठक की अध्यक्षता कर रहे [illegible] प्रधान की सहमति से सम्पन्न करने की घोषणा श्री [illegible] सिंह जी द्वारा की गयी।

दीनानन्द
जयानन्द
मूलीदेवी
रामीदेवी
सुन्दरदेवी
[illegible] सिंह
[illegible] सिंह
सुन्दरसिंह
पचनसिंह
बैसाखीसिंह
[illegible]

[illegible]

Tem Ledar
Shradha Dehradun

Date..............

आज दिनांक 10/01/13 को ग्राम पंचायत ज्यूँदासू के पंचायत भवन में ग्राम प्रधान रामकली देवी की अध्यक्षता में सेक्टर सुधार कार्यक्रम (SWAP) के अन्तर्गत एक आम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नव ज्योति जन कल्याण समिति काण्डीखाल के सुविधादाता श्री [illegible] जी भी उपस्थित हुए।

सुविधार पम्पिंग योजना के अन्तर्गत

उपरोक्त बैठक में ग्राम ज्यूँदासू पेयजल योजना पर चर्चा करते हुए नव ज्योति जन कल्याण समिति काण्डीखाल के सुविधादाता द्वारा सेक्टर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक पेयजल योजना के निर्माण पर एक विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा में SWAP कार्यक्रम की रूपरेखा की विस्तृत चर्चा करते हुए कहा गया कि यह योजना आपकी योजना होगी जिसकी देख रेख एवं रख रखाव आपके द्वारा की जायेगी,

स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास को मध्यनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से पेयजल स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ जल, पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत शौचालय, स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामवासियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए कहा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति ज्यूँदासू का गठन किया जाना अति आवश्यक है।

योजना निर्माण में स्वैप के मानकों के अनुरूप 30% महिला एवं 20% अनुसूचित जाति

P. C. [illegible]

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
[illegible]

एवं ७०% अनुसूचित जाति के समिति (
उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप
समिति) के सदस्य होंगे सुविधा
दाता द्वारा बताया गया कि योजना
के रख रखाव हेतु 10% अंशदान/श्रमदान
किया जाना है।

पेयजल योजना के निर्माण के पश्चात
पेयजल आपूर्ति होने पर प्रति कनेक्शन
जो कि व्यक्तिगत होंगे जिसकी कनेक्शन
फीस सामान्य जाति हेतु श्रेणी 600 रु० एवं
बी०पी०एल० 300 रु० अनुसूचित जाति 150 रु०
योजना से लाभान्वित होने पर देय होंगे
योजना निर्माण एवं रख रखाव आयोक्ता
पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति
द्वारा की जाएगी।

ग्राम वासियों के द्वारा स्वैप कार्यक्रम
की सराहना करते हुए उपरोक्त कार्यक्रम
के तहत योजना निर्माण हेतु अपनी आम
सहमति प्रकट की गई। बैठक में चर्चा
करते हुए निम्न प्रस्ताव पारित
किये गये -

प्रस्ताव सं०-1 - सर्व प्रथम योजना गठन
एवं रख-रखाव हेतु
UWSSC जखुंदाखु का गठन किया
गया।

प्रस्ताव सं०-2 - स्वैप कार्यक्रम के अनुरूप उपसमिति में
ग्राम प्रधान ही नामित अध्यक्ष
होंगे।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

Date__________

प्रस्ताव सं०-3 बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मानकों के अनुरूप स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत समिति का गठन किया जाना अति आवश्यक है। समिति के गठन तथा उपसमिति ग्राम वासियों के द्वारा एक कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा।

कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री राम चन्द्र सिंह रावत के नाम का प्रस्ताव कुवेर सिंह रावत द्वारा किया गया जिसको अनुमोदन दिनेश लाल द्वारा किया गया।

प्रस्ताव सं० 4- बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति का खाता [illegible] में खोला जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा होगा।

प्रस्ताव सं० 5!- बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना के निर्माण के लिए दो प्रकार के खाते का खुलना अति आवश्यक होगा जो निम्न प्रकार के होंगे -

i) पूँजीगत खाता (Capital Account)

ii) क्रियान्वयन एवं रख-रखाव खाता (Operating and Maintaining)

उपरोक्त दोनों खातों का संचालन UWSSC के अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष के द्वारा दोनों खातों का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा किया जायेगा। P. C. [illegible]

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

Date __________

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	जाति	हस्ताक्षर
1	श्रीमति राम कली [illegible]	अमर सिंह	46	प्रधान	8th.	OBC	R.P. [illegible]
2							
3	रामचन्द्र सिंह	धलन सिंह	50	कोषाध्यक्ष	10th	Gen	[signature]
4	सुनीता देवी	विजय सिंह	38	सदस्य	10th	Gen	[illegible]
5	सीता देवी	सुरेन्द्र सिंह	33	सदस्य	[illegible]	Gen	सीतादेवी
6	सोबन सिंह	रूप सिंह	35	सदस्य	10th	Gen	[illegible]
7	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह	53	सदस्य	12th.	Gen	[illegible]
8	[illegible]	नारायण सिंह	[illegible]	सदस्य	10th	Gen	Pushpa
9	[illegible]	[illegible]	36	सदस्य	10th	OBC	सुबोध
10	[illegible] देवी	[illegible]	52	सदस्य	[illegible]	SC	[illegible]
(11)	[illegible] लाल	मकान सिंह	28	सदस्य	स्नातक	SC	[signature]

उपरोक्त बैठक को इस प्रकार से अभीयत पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति (जुड़ासू) का गठन किया गया। बैठक में अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत शौचालय स्वच्छता पिट, कम्पोस्टपिट, सोकपिट, आदि के निर्माण विषयों पर चर्चा की गई। इसी परिचर्चा में ग्राम प्रधान जी द्वारा अपने विचार प्रस्तुत कर आ.उ.पे.ज. काण्डीखाल को धन्यवाद देते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

R.C. [signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

-: समिती गठन कार्यवाही-प्रस्ताव :-

Page No.

आज दिनांक 15/09/13 को ग्राम पंचायत मनोह मे एक सामुहिक बैठक आहुत की गयी। आज की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री [illegible] ने की बैठक मे संस्था कार्य कर्ता गाँव के वार्ड सदस्य एवं गाँव के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि एन० आर० डी० डब्ल्यू० पी० [N.R.D.W.P.] के तहत सुरीगाड़ पम्पिंग पेयजल योजना की जानकारी ग्राम समुदाय को देना व समिति गठन करना आदि के सम्बन्ध मे।

परिचय सत्र !- बैठक के प्रथम सत्र मे संस्था के पदाधिकारियों ने सभी का बैठक मे आने पर स्वागत के साथ साथ सभी सदस्यो का संक्षिप्त परिचय लिए एवं साथ मे अपना परिचय कराते हुऐ परियोजना से सम्बन्धित जानकारियां समुदाय को दी।

परियोजना की सामान्य जानकारी :-

परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करना है तथा इसके अतिरिक्त उनके व्यवहार मे बदलाव लाना भी परियोजना मे [illegible] की [illegible] भी [illegible]

E/O
[signature]
श्यामलाल
चतर सिंह
[signature]
छोटे लाल
बैशाख सिंह
चन्दन सिंह
सीता देवी
नरेन्द्र सिंह
जीत सिंह
छोटी देवी
रविन्द्र

P.C. Attested
[signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
[illegible]

Date __________

Page No. __________

समुदाय की भागीदारी श्रम व नगद के रूप में सुनिश्चित की गयी है जो निम्न वत है।

क्र०सं०	विवरण	नगद	श्रमदान	योग
01.	सामान्य प्राईवेट कनेक्शन	120.00	480.00	600.00
02.	-"- स्टैण्ड पोस्ट	60.00	240.00	300.00
03.	SC/ST प्राईवेट कनेक्शन	60.00	240.00	300.00
04.	-"- स्टैण्ड पोस्ट	30.00	120.00	150.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता परिवार को नगद व श्रम दान के आवश्यक है तथा इसके अतिरिक्त परियोजना व्यवहार के अनुसार एक वर्ष का अग्रिम रख-रखाव शुल्क भी जमा करना है जिसे 50% नियोजन चरण में तथा 50% क्रियान्वयन चरण में जमा करना आवश्यक है।

स्वच्छता कार्यक्रम :- परियोजना का उद्देश्य है कि समुदाय को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाय इसके लिए समुदाय का सहयोग आवश्यक है। इसके साथ समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाया जाना आवश्यक है, प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण एवं गन्दे पानी के लिए निकासी नालों का निर्माण करें [illegible]

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
[illegible]

Date________
Page No________

Manisha Rana

आवश्यक है। स्वच्छता को प्रभाव में लाने हेतु समय-समय पर स्वास्थ्य पर सर्वेक्षण करना भी आवश्यक है तथा हेसा (HESA) संस्था को भी विशेष ध्यान दिया जाना होगा, हेसा में व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ घरेलू स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता पर ज़ोर दिया जाए।

समिति गठन प्रक्रिया:- एन० आर० डी० डब्ल्यू० पी० [NRDWP] योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति का गठन किया जाना है जिसमें 07 से 12 सदस्य होंगे इन्हीं सदस्यों में से एक कोषाध्यक्ष चुना जायेगा जबकि ग्राम प्रधान पदेन अध्यक्ष रहेगा। साथ में आरक्षण के तहत 30% महिला 20% अनु० जाति तथा 50% अन्य लोग बतौर सदस्यों के रूप में चयनित किये जाने होंगे यदि उपभोक्ता में क्षेत्र पंचायत, जि० पंचायत भी आते हैं तो उन्हें भी समिति में शामिल किया जाना आवश्यक है।

वित्तीय प्रक्रिया:- वित्तीय प्रक्रिया के तहत समिति के दो प्रत्येक ग्राम [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

E.C.
[illegible]
[illegible] जलापूर्ति
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
[illegible] (टिहरी)

Date ....
Page No. ....

खाता खोला जा होगा, जिसमें कि योजना निर्माण हेतु पूंजीगत लागत खाते में समुदाय द्वारा नगद अंशदान व परियोजना से प्राप्त धनराशि जो कि परियोजना में व्यय होगा, जबकि संचालन एवं रख-रखाव खाते में एक वर्ष का अग्रिम शुल्क जो कि परियोजना द्वारा तय किया जायेगा। तथा योजना निर्माण के बाद इस खाते में सुनिश्चित कर प्रत्येक परिवार शुल्क जमा कर खाते में डालेंगे। उक्त दोनों खातों का संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के दोनों के हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा।

इसके पश्चात सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद समुदाय में आपसी विचार-विमर्श कर समिति गठन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सभी की सहमति से समिति सदस्यों को निम्न प्रकार से चयनित किया। जो कि खुली बैठक में तय कर सदस्यों को चुना गया।

→

610
मोनि
श्याम
बीर
प्रेमा
बैशा
वस्
हरि

P. C. Nautiyal

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति- "नकोट"

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	उम्र	लिंग	श्रेणी	आ.	पदों विवरण
01.	अनिल राणा	होशियार सिंह	अध्यक्ष	28	M	सा०	OBC	प्रधान
02	ममता राणा	रविन्द्र सिंह	कोषाध्यक्ष	32	F	"	"	
03	देवकी देवी	कुन्दी सिंह	सदस्य	40	F	"	"	
04	पुष्पा देवी	राजेन्द्र सिंह	"	35	F	"	"	
05.	चतर सिंह	बख्तावार सिंह	"	65	M	"	"	
06.	बच्चु लाल	गल्थपा	"	40	M	"	SC	
07.	श्याम लाल	मंगलू	"	50	M	"	"	
08								
09								
10								
11.								
12.								

उपरोक्त पेयजल एवं स्वच्छता का गठन सर्व सहमति से किया जिसमें अध्यक्ष पद हेतु श्री - अनिल राणा S/0 श्री होशियार सिंह को तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री ममता राणा प० रविन्द्र सिंह को चयनित किया गया गया। इसके पश्चात यह भी तय किया गया अपने (बैंक मण्डल) बैंक की संस्तुति के खाते खोले जायें।

इसी के साथ सभी को सहयोगी संस्था की ओर से धन्यवाद देकर अध्यक्ष की अनुमति के साथ आज के बैठक का समापन किया गया।

अर्जुन सिंह
बिमला देवी

सहायक अभियंता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

आम सहमति बैठक
Agree To Do Meeting

आज दिनांक 1-1-13 को ग्राम पंचायत नकोट में उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के कोषाध्यक्ष श्रीमती ममता राणा जी की अध्यक्षता में एक बैठक की गयी। बैठक में सहयोगी संस्था सद्भा के टीम लीडर, सामुदायिक संगठनकर्ता, अवर अभियन्ता, सामुदायिक कार्यकर्ता एवं समस्त ग्राम-वासी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सूरी धार पेयजल योजना के बारे चर्चा करके आम सहमति बनाना था।

परियोजना की जानकारी→ समुदाय को सूरीधार पम्पिंग पेयजल योजना के बारे में बताया गया कि सरकार द्वारा स्वीकृत माँग आधारित योजना हेतु झील से पानी पम्प करके सूरी धार में जलाशय में पहुँचाया जायेगा, इसके बाद ग्राम पंचायत में माँग अनुसार जलाशय का निर्माण व वितरण प्रणाली के समस्त कार्य उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के द्वारा किये जाते है जबकि सप्लाई मैन के समस्त कार्य विभाग द्वारा निविदा पर किये जाते है।

स्वच्छता कार्यक्रम→ स्वच्छ पेयजल के साथ-साथ समुदाय में स्वच्छता की आदतों में सुधार हेतु प्रत्येक परिवार में शौचालय निर्माण, कूड़ेदानों का निर्माण कार्य, दूषित व गन्दे पानी की निकासी हेतु निकास नाली, सोख्ता गड्ढे बनाये जा सकते है जिसके प्रयास हेतु व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygine) घरेलू स्वच्छता (Domestic Hygine) पर्यावरणीय स्वच्छता (Environmental Hygine) की जानकारी से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है

P.C. [signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

Date:
Page No.

सामुदायिक सहभागिता→ समुदाय को बताया गया कि परियोजना में निर्धारित नगद अंशदान व श्रमदान करना आवश्यक है तथा एक वर्ष का नगद रखरखाव अग्रिम के जमा करना भी आवश्यक है।

संचालन एवं रखरखाव→ योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इसका संचालन एवं रखरखाव ग्रामवासियों के द्वारा स्वयं किया जाना है इसके लिये प्रति परिवार से मासिक रखरखाव शुल्क का निर्धारण किया जायेगा तथा इसी आधार पर प्रति माह प्रति परिवार से वसूल किया जायेगा। रखरखाव के लिये गाँव से किसी तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को ग्राम रखरखाव कार्यकर्ता के रूप में समिति नियुक्त करेगी जो पूरे वितरण प्रणाली की देखरेख करेगा तथा समिति के द्वारा उसे कुछ मासिक मानदेय देय करेगी।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर उपस्थित लोगों ने अपनी ग्राम सहमति दी तथा सभी लोगों का धन्यवाद करके बैठक का समापन किया गया।

(हस्ताक्षर: दाडनी सिंह, धनपाल सिंह, बेरछू नीलाल, हीरालाल, द्वारिका..., [illegible], [illegible], [illegible], [illegible])

[signature]
Tem Ledar
Shradha Dehradun

[signature]
अध्यक्ष
ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ... मनगोट
... (टिहरी)

सचिव [signature]

[signature]

P.C. [signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड ...

Date ....   Date ....

आज दिनांक 16.07.13 में ग्राम पंचायत कलेथ के पंचायत भवन में ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम भण्डारी की अध्यक्षता में समेकित क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (SWAP) के अन्तर्गत एक ग्राम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नवज्योति जन कल्याण समिति के सुविधादाता विनेश जी उपस्थित हुए।

उपरोक्त बैठक में ग्राम कलेथ पेयजल योजना पर चर्चा करते हुए सुविधादाता द्वारा समेकित क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामपंचायत कलेथ में एक पेयजल योजना के निर्माण पर विस्तृत चर्चा हुई, ~~चर्चा~~ हुई चर्चा में नव ज्योति जन कल्याण समिति के सुविधादाता के द्वारा SWAP कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा गया कि वह योजना अच्छी योजना होगी जिसकी देख रेख एवं रखरखाव आपके द्वारा की जाएगी।

स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से पेयजल स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छजल, पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत शौचालय, स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामवासियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए कहा, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति कलेथ का गठन किया जाना अति आवश्यक है।

योजना निर्माण में स्वैप के मानकों के अनुरूप 30% महिला 20% अनु० जाति एवं 50% सामान्य जाति से समिति (UWSSC) के सदस्य होंगे।

अध्यक्ष ग्राम पंचायत कलेथ
ह० पूनम
दि०

पूनम
अध्यक्ष

सचिव
सचिव

उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति
ग्रा०-कलेथ वि० ख०-[illegible] (टि०)

[illegible]

[illegible]
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
[illegible] (टिहरी)

Date.................

सुविधादाता द्वारा बताया गया कि योजना के रख-रखाव हेतु 10% श्रमदान/अंशदान किया जाना है।

पेयजल योजना के निर्माण के पश्चात पेयजल आपूर्ति होने पर प्रति कनेक्शन जो कि व्यक्तिगत होंगे जिनकी कनेक्शन फीस सा० जाति 600 रु० बी०पी०एल (सामान्य) 300 रु० अनु० जाति 150 रु० योजना से लाभान्वित होने पर देय होगी।

योजना निर्माण एवं रख-रखाव आगामी पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति द्वारा किया जायेगा।

ग्रामवासियों के द्वारा स्वैप कार्यक्रम की सराहना करते हुए उपरोक्त कार्यक्रम के तहत योजना निर्माण हेतु अपनी आम सहमति प्रकट की गई। बैठक में चर्चा करते हुए निम्न प्रस्ताव पारित हुए

प्रस्ताव सं०-1: सर्वप्रथम ग्राम सभा गठन एवं योजना के रख-रखाव हेतु UWSSC [?] का गठन किया।

प्रस्ताव सं०-2- स्वैप कार्यक्रम के अनुरूप उप समिति में ग्राम प्रधान ही नामित अध्यक्ष होंगे।

बैठक में [illegible] गया।

ह० पूनम

P - [illegible]

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल [illegible]

Date Date

प्रस्ताव सं०-03: बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि [illegible] मानकों के अनुरूप स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम समिति का गठन किया जाना अति आवश्यक है। समिति का अध्यक्ष तथा उपस्थित ग्रामवासियों के द्वारा एक कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा।

कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री आनन्द सिंह के नाम का प्रस्ताव जसबीर सिंह द्वारा किया गया जिसका अनुमोदन सूरबीर सिंह द्वारा किया गया।

प्रस्ताव संख्या 04: बैठक में सर्व सम्मति से लिया गया कि समिति का खाता S.B.I. कण्डीखाल (जुवा) में खोला जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा होगा।

प्रस्ताव सं०-05: बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना निर्माण के लिये बैंक में दो प्रकार के खातों का खुलना अति अनिवार्य है जो इस प्रकार होंगे –

① पूंजीगत खाता (Capital A/C)

② क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण खाता (O & M)

उपरोक्त दोनों खातों का संचालन ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष के द्वारा दोनों खातों का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

दलेब सिंह, प्रेम सिंह, गम्भीर सिंह, इन्द्र सिंह, कुन्दन सिंह, मंगल सिंह, मान सिंह, प्रेम सिंह, सुन्दर सिंह, राजेन्द्र सिंह, जयवीर सिंह, प्यार दास, डिगम्बर सिंह, रविन्द्र सिंह

(हस्ताक्षर) [illegible]

अध्यक्ष — कोषाध्यक्ष

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति

(मुहर) प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]

R. C. [illegible]

निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

Date ---------------

Date ---------------

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	जाति	हस्ता[illegible]
①	पूनम चौधरी	जसवीर सिंह चौधरी	28	अध्यक्ष	स्नातक	सा०	[illegible]
②	कीर्ति सिंह भण्डारी	सूरत सिंह भण्डारी	68	सदस्य	8वीं	"	[illegible]
③	[illegible] सिंह रावत	रतन सिंह	60	"	आर्मी स्नातक	"	[illegible]
④	आनन्द सिंह	ज्ञान सिंह	43	कोषाध्यक्ष	इण्टर	"	[illegible]
⑤	दुर्लभ सिंह	श्याम सिंह	64	सदस्य	5वीं	"	[illegible]
⑥	मान सिंह रावत	प्रेम सिंह	45	"	[illegible]	"	[illegible]
⑦	अंजू देवी	प्रेम सिंह	45	"	5वीं	"	[illegible]
⑧	चन्दा पंवार	कृपाल सिंह	45		5वीं	"	[illegible]
⑨	विमला देवी	सत्ये सिंह	60	"	साक्षर	"	[illegible]
⑩	आनन्दी देवी	प्रेम दास	55	"	साक्षर	अनु०	[illegible]
⑪	[illegible] दास	[illegible] दास	40		8वीं	"	प्यार[illegible]
⑫	सीता देवी	राम सिंह	35		8वीं	[illegible]	[illegible]

उपरोक्त बैठक में इस प्रकार से उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति कलेथ का गठन किया गया। समिति का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। इसी [illegible] बैठक में ग्राम प्रधान [illegible] द्वारा अपने विचार प्रकट कर [illegible] जन कल्याण समिति का धन्यवाद देते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(Stamp: [illegible] ग्राम पंचायत कलेथ / ह० / दि० / [illegible] पौखार टिहरी गढ़वाल)

अध्यक्ष — कोषाध्यक्ष

उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति

ग्राम-कलेथ वि० ख०-[illegible] (टि० ग०)

P. C. [illegible]

सहायक अभियन्ता

निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल निगम

चम्बा (टिहरी)